न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस

निगरानी सं0 02/16 दायर दिनांकः 07.01.2016

अनवान :-

1. यासीन खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी पल्लू तहसील रावतसर प.स. नोहर।

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. रोशनअली पुत्र भूरेखां जाति मुसलमान(दमामी) साकिन पल्लू तह. रावतसर प.स. नोहर।
2. अध्यक्ष प्रशासन और स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समित नोहर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत पल्लू पंचायत समिति नोहर।
4. सचिव ग्राम पंचायत पल्लू पंचायत समिति नोहर।

— रेस्पोडेन्टगण

निगरानी विरूद्ध आदेश मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर मि.सं. 01/2003 रोशनअली बनाम सरपंच आदि निर्णय दिनांक 07.05.2004 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः—1. श्री विजयसिंह कडवासरा, अभिभाषक प्रार्थीगण

2. श्री हवासिह, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः 13.06.2018**

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः—

यह कि ग्राम पल्लू के सरंपच ने बाहर के लोगों व अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेला मैदान मंदिर माताजी के सार्वजनिक स्थान में नाजायज पट्टे काट कर दिये थे जिसके विरूद्ध

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

आवेदक व ग्राम पंचायत पल्लू में एक अपील पंचायत समिति अदालत मातहत के समक्ष पेश की मगर इस अपील को गलत तौर में अस्वीकार करते हुए पट्टों को बहाल रखे जाने का गलत हुक्म पारीत किया गया जबकि ग्राम पंचायत पल्लू द्वारा जो मौजुदा चुनकर आई थी ने इस संबंध मे स्पष्ट तौर से कहा कि यह पट्टे अवैध व गलत तौर से दिये गये है।

यह कि सार्वजनिक स्थान पर पंचायत के सरपंच को इस प्रकार से दुकानें काट कर पट्टे जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

यह कि किसी जगह के आवंटन के लिए कभी नियमानुसार कार्यवही नही की गई ना ही निलामी प्रक्रिया अपनाई गई ना ही कोई दरख्वास्ते आमत्रित हुई।

यह कि मैदान मन्दिर माताजी एक सार्वजनिक क्षेत्र है तथा यात्रियों की सुविधा व ठहरने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा खुला छोडा गया है।

यह कि उपरोक्त प्रकार से पट्टे जारी करने से मन्दिर माताजी का मैदान समाप्त हो रहा है व मेले के लिये जगह अपर्याप्त होने से मेला लगाने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा व इसमें पंचायत कोष को भारी हानी होगी। इस लिये इस अदालत द्वारा आवेदक व तत्कालिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.05.1988 को निरस्त कर दिया। तथा ग्राम पंचायत द्वारा माताजी के व मैला मैदान की जगह 162 पट्टे जारी किये गये थे उनको निरस्त कर दिया तथा इस अदालत निर्णय दिनांक 09.03.1994 के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेटिशन उन लोगों द्वारा दाखिल की गई जिनके पट्टे निरस्त कर दिये गये थे मगर रा.उ.न्याय. जोधपुर में उनकी रीट पेटीशन कोई केस नही बनने के आधार पर दिनांक 19.12.1994 को खारिज कर दी। तथा इस अदालत का निर्णय दिनांक 09.03.1994 को बहाल रखा है तथा निर्णय दिनांक 09.03.1994 की पालना में पट्टाधारियों द्वारा कब्जा हटा लिया गया था तथा ग्राम पल्लू में ग्राम पंचायत द्वारा जारी विवादित स्थल के पूर्व पट्टा सं. 156,157,158,159,160 निरस्त किये जा चुके है तथा उक्त कब्जा होने बाबत तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत पल्लू द्वारा नोटिस दिया गया जिसके हटाने हेतु रोशन अली पुत्र भूरे खां द्वारा जबाव नोटिस में कब्जा हटाने हेतु घरेलु परिस्थितियों के अनुसार समय चाहा जाकर सहमति दी थी। मगर उसने बदयान्ति पूर्व कब्जा खाली न कर पंचायत समिति नोहर में अपील सं. 01/2003 प्रस्तुत कर नियम विरूद्ध दिनांक 07.08.2004 के निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया। तथा आवेदक व अन्य वाशिदयान ने रोशन अली का कब्जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हटाने के लिए सभी अधिकारियों के यंहा दरख्वास्त पेश की मगर कुछ नही हुआ तथा आवेदक ने निर्णय दिनांक 07.08.2004 का कोई ज्ञान नही हो सका। क्योंकि आवेदक व अन्य वाशिदगान ने इस अदालत के निर्णय दिनांक 09.03.1994 व उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.1994 की पालना में गलत पट्टाधारियों के सार्वजनिक स्थल में कब्जा हटाने की कार्यवाही में लगे रहे तथा आवेदक को निर्णय दिनांक 07.08.2004 का पता तब चला जब अनावेदक रोशन अली ने विवादित स्थल पर बजरी गिटी पत्थर सेटरिंग आदि डालकर कब्जा करने की कौशिश की तब हमने अनावेदक रोशन अली को कहा कि उक्त जगह सार्वजनिक स्थल है जिस पर उसने दिनांक 15.06.2009 को कहा कि उक्त जगह का फैसला पंचायत समिति द्वारा मेरे पक्ष में किया गया है तथा में अब ग्राम पंचायत से उक्त निर्णय दिनाक 07.08.2004 की पालना में पट्टा जारी करवाउंगा जिस पर दिनांक 19.06.2009 को पंचायत समिति नोहर में आकर उक्त फैसला बाबत पता किया तो पता चला कि उक्त पत्रावली हमारे पास नही है तथा नकल निर्णय नही दी जा सकती है। तत्पश्चात आवेदक ग्राम पंचायत के सचिव से मिला तो उसने दिनांक 22.06.2009 को निर्णय जैर निगरानी दिनांक 07.08.2004 की फोटो प्रतिलिपि हासिल की। तथा उक्त निर्णय विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर व ग्राम पंचायत सचिव से प्रमाणित करवाया गया तथा आवेदक दिनांक 23.06.2009 को आकर अपना वकील नियुक्त किया तथा आवेदक को निर्णय दिनांक 07.08.2004 का दिनंक 15.06.2009 से पूर्व कोई ज्ञान नही तथा दिनांक 22.06.2009 को उक्त निर्णय का पूरा ज्ञान हुआ तथा उक्त निर्णय के खिलाफ ग्राम पंचायत कोई कार्यवाही नही कर रही है तथा सरपंच ग्राम पंचायत ने अनावेदक से साजकर रखी है इसलिए आवेदक उक्त निर्णय दिनांक 07.08.2004 को अपास्त करने के लिए निम्नलिखित आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है।

1. यह कि निर्णय दिनांक 07.08.2004 बअदालत मातहत व खिलाफ कानून नियम वाक्यात व रूयदाद मिसल है तथा काबिल मन्सुखी है।
2. यह कि मातहत अदालत ने नीचें की पत्रावली अनावेदक की तरफ कोई दस्तावेजात ना होते हुए कतई मनमाना स्वैच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल इखराजी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. यह कि मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध तरीके से सार्वजनिक स्थल का बिला कब्जा बिला अधिकार अनावेदक नंबर 1 के नाम सं पट्टा बनाने का ग्राम पंचायत पल्लू का आदेश दिया जो गैर कानूनी है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।
4. यह कि विवादित स्थल जो सार्वजनिक स्थल तथा जंहा पर मां ब्रहमाणी का मेला प्रतिवर्ष माह आसोज में लगता है तथा उक्त स्थल का पूर्व की ग्राम पंचायत पल्लू द्वारा 162 व्यक्तियों को गलत पट्टे जारी किये थे जिसका इस अदालत द्वारा अपने दिनांक 09.03. 1994 को अपास्त कर दिया। तथा उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.12. 1994 इस अदालत निर्णय दिनांक 09.03.1994 दिनांक बहाल रखा है। फिर मातहत अदालत उच्च अदालतों के निर्णय की अवहेलना करते हुए अनावेदक के पक्ष पट्टा बनाने का आदेश ग्राम पंचायत को दिया है व गैर कानूनी है तथा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जो इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।
5. यह कि प्रशासन एवं स्थापना समिति का निर्णय नियम विरूद्ध है। प्रकरण की समस्त पत्रावली तलब कर न्याय किया जावे।
6. यह कि विवादित जगह की कीमत लगभग 30 लाख रूपये है। अनावेदक नं. 1 ने अपने आपको बेरोजगार होना व प्रधानमंत्री रोजगार योजना से ऋण लिया जाना बताया है। क्या बडी कीमत की जगह का फैसला प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति द्वारा लिया जाना उचित है। कतई गलत निर्णय पारित किया।
7. यह कि अनावेदक अपीलांट किसी तरह से गरीब बेरोजगार नही है। विवादित जगह पर उसने जो सामान डाल रखा है वह उसको डालने का अधिकार नही है तथा ग्राम पंचायत अनावेदक नं. 1 से साजकर कोई कार्यवाही नही रही है तथा निर्णय नियम विरूद्ध है तथा काबिल अपास्तनीय है।
8. यह कि विवादित स्थल पूर्व में माननीय न्यायालय ने पट्टा खारिज किये थे मगर मातहत अदालत ने उसी स्थान को पुनः आवंटन का फैसला किया है जो न्यायोचित नही है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनाक 07.08.2004 खारिज फरमावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान एवं रिकार्ड की तल्बी की गई। रिकार्ड अप्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पल्लू के पूर्व सरपंच ने मन्दिर माताजी के मेला मैदान सार्वजनिक स्थल पर बाहर के लोगों व अपने नजदीकी रिश्तेदारों को अवैध रूप से पट्टे काट दिये। जिसके विरूद्ध आवेदक व ग्राम पंचायत पल्लू ने एक अपील पंचायत समिति में प्रस्तुत की। उक्त अपील को अस्वीकार कर पट्टो को बहाल रखा गया था। परन्तु सार्वजनिक स्थान पर ग्राम पंचायत को दुकानों के पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नही है। ना ही पट्टो को जारी करने में विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। मन्दिर माताजी के मैदान में इस प्रकार के पट्टे जारी करने से मैदान की जगह धीरे–धीरे समाप्त हो रही है। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति के निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो स्वीकार की जाकर समस्त पट्टो को निरस्त कर दिया गया। निर्णय अनुसार पट्टेधारियों द्वारा कब्जा हटा लिया गया परन्तु अप्रार्थी रोशनअली ने कब्जा हटाने के लिए समय चाहा, समय दे दिया गया। परन्तु अप्रार्थी ने बदनियती पुर्वक कब्जा खाली नही किया व आदेश के विरूद्ध पंचायत समिति में अपील पेश कर दी जिसका निर्णय अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है। उक्त निर्णय की जानकारी अप्रार्थी को होते ही यह निगरानी प्रस्तुत कर दी। मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पुर्व किसी प्रकार के दस्तावेजों का अवलोकन नही किया ना ही सार्वजनिक स्थल व मेला स्थल का ध्यान किया। नियम विरूद्ध निर्णय कर विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी करने का आदेश दे दिया जो अवैध एवं विधि के विरूद्ध है। जबकि अप्रार्थी का विवादित स्थल पर कोई निर्माण नही है केवल मात्र कुछ सामान डाल कर कब्जा दर्शाया है। वर्तमान सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर एतराज जताया है कि विवादित स्थल पर पट्टा ना दिया जावे एवं ग्रामवासी, वार्ड पंच व ब्लॉक मेम्बर द्वारा भी एतराज पेश किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.08.2004 निरस्त फरमायें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित स्थल पर अप्रार्थी को कभी भी पट्टा नही दिया गया ना ही पुर्व निर्णयों में अप्रार्थी के किसी पट्टे का हवाला है। अप्रार्थी का विवादित भूखण्ड 50 गुणा 135 फुट पर कब्जा है तथा अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मातहत अदालत ने अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश दिया है। प्रार्थी अप्रार्थी से रंजिश रखता है इसलिए उसे हैरान व परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की है तथा वर्तमान सरपंच द्वारा जो रिपोर्ट पेश की है वह एकपक्षीय है व आपसी नाराजगी के कारण गलत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रिपोर्ट पेश की गई है। मेला मैदान व विवादित स्थल अलग अलग है भूखण्ड से किसी भी प्रकार से मेला प्रभावित नही होता है। प्रार्थी का उक्त स्थल पर कोई हक–अधिकार नही है ना ही वह प्रभावित पक्षकर है। ग्राम के किसी व्यक्ति या पुर्व सरपंच को एतराज नही था। निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नही है। खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की गई है वह किस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है कोई उल्लेख नही। केवल ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाकर अपील को स्वीकार कर निर्णय पारित किया है जबकि अपील किसी आदेश के ही विरूद्ध की जा सकती है। यंहा यह भी उल्लेखनिय है कि पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट नायब तहसीलदार दिनांक 20.03.2009 से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी पल्लू में विवादित स्थल 50 गुणा 135 फुट पर सेटरिंग का समान डाल कर कब्जा किया हुआ है तथा उक्त भूमि अतिउपायोगी, मुल्यवान व सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण कब्जा हटाने का निवेदन किया गया था। अब अप्रार्थी सं. 3 व 4 सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा विवादित स्थल पर सेटरिंग का समान रख मेला मैदान के स्थान पर कब्जा किया हुआ है तथा उक्त विवादित स्थल पर पुर्व में ग्राम पंचायत द्वारा 169 पट्टे जारी किये गये थे जो इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये थे जिसकी पुष्टी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट याचिका के निर्णय अनुसार इस न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया है। विवादित स्थल मेला मैदान है जहां साल में दो बार माताजी का मेला भरता है। अगर मेला स्थल पर पट्टा जारी किया जाता है तो मेला मैदान छोटा होने के साथ साथ अवयव्स्था होगी। ग्रामवासियों व अन्य वार्ड पंचों द्वारा भी अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने का विरोध किया है व कब्जा हटाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी विवादित भूखण्ड 135 गुणा 50 का कब्जे के आधार पर पट्टा हासिल करना चाहता है जिसका ग्रामवासियों का भी विरोध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील को बिना किसी आदेश के विरूद्ध स्वीकार की गई है साथ ही विवादित स्थल मेला मेदान है जहां वर्ष में दो बार माताजी का मेला भरता है। ऐसी आस्था स्थल पर किसी व्यक्ति विशेष को बिना किसी आधार के पट्टा दिया जान न्यायोचित नही कहा जा सकता। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.08.2004 खारिज किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. [illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर